(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2247–एक/ 2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2015–पारित –व्दारा– अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह केंप पोरसा जिला मुरैना–प्रकरण क्रमांक 71/2014–15 अपील

1– केशब सिंह पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर
2– सुघर सिंह पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर
3– प्रताप सिंह पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर
निवासी रावत की मौजा सेंथरा वाढ़ई
तहसील पोरसा जिला मुरैना, मध्यप्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– कुम्हेर सिंह पुत्र गर सिंह
2– सूरज प्रभा पत्नि स्व. गरसिंह
दोनों जाति ठाकुर निवासी रावत
की मौजा सेंथरा वाढ़ई तहसील पोरसा
जिला मुरैना, मध्यप्रदेश
3– शान्तिवाई पुत्री लोकेन्द्र सिंह पत्नि
नत्थीसिंह ठाकुर ग्राम बहादुरपुर
तहसील रौन जिला भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री बी0एस0धाकड़)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री सुशील अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 25– 4 – 2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 71/2014–15 अपील माल में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–15 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सेंथरा बाढ़ई स्थित भूमि सर्वे कमांक 786 रकबा 2 वीघा 2विसवा, सर्वे कमांक 818 रकबा1 वीघा 2 विसवा , सर्वे कमांक 993 रकबा 1 वीघा 16 विसवा , सर्वे कमांक 719 रकबा 3 वीघा 4 विसवा के हिस्सा 1/2 एंव सर्वे कमांक 819 रकबा 1 वीघा 19 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना के प्रकरण कमांक 97 एंव 98 तथा 99/ए. ई.दी./2006 में हुये आदेश दिनांक 31-8-2007 के पालन में तहसील पोरसा में प्रकरण पंजीबद्व हुआ एंव कार्यवाही प्रारंभ हुई, किन्तु अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील कमांक 828, 829, 830/2007 प्रस्तुत की गई, जिनमें पारित आदेश दिनांक 8-12-2014 तथा डब्ल्यू0पी0 नंबर 6518/2004 में पारित आदेश दिनांक 11-2-2015 के उपरांत तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 14/2013-14 अ-6 में पक्षकारों क सुनवाई कर आदेश दिनांक 15-4-2015 से डिकी के अमल करने वावत् आदेश प्रदान किये। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह केंप पोरसा के समक्ष अपील कमांक 71/2014-14 प्रस्तुत की। अपील में सुनवाई के दौरान अपीलांट ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन देकर पुराने खसरा एंव बंदोवस्त के वाद पुराने खसरों के बदले हुये नम्बर लेने की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने अंतरिम आदेश दिनांक 26-6-15 से अपीलांट्स का आवेदन अमान्य किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी प्रकरण का न्यायालय में शोध न चलने पर आवेदकगण के अभिभाषक से निगरानी मेमो की प्रति एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति लेकर सुनवाई की गई। उभय पक्ष के

अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार पोरसा के प्रकरण क्रमांक 14/2013-14 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 15-4-2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष प्रस्तुत अपील के अवलोकन से विचार योग्य है क्या तहसीलदार पोरसा के प्रकरण क्रमांक 14/2013-14 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 15-4-2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रचलन योग्य एंव सुनवाई योग्य है ? प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना के प्रकरण क्रमांक 97 एंव 98 तथा 99/ए. ई.दी./2006 में हुये आदेश दिनांक 31-8-2007 (डिक्री) के विरूद्ध मान0 न्यायालय में अपील क्रमांक 828, 829, 830/2007 हुई हैं जो आदेश दिनांक 8-12-2014 निराकृत हुई हैं तथा डब्ल्यू0पी0 नंबर 6518/2004 में पारित आदेश दिनांक 11-2-2015 अनुसार डिक्री के पालन हेतु तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण क्रमांक 14/2013-14 अ-6 में आदेश दिनांक 15-4-2015 पारित किया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 सहपठित धारा 110 - स्वत्व के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट से विनिश्चय होता है जब तक उसमें संशोधन या निरसन नहीं हो, उसी डिक्री के अनुसार नामान्तरण होगा। (लाभ सिंह बनाम देवकी नन्दन 1984 रा0नि0 31 पैरा-7) से अनुसरित

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 सहपठित धारा 110 - माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश (डिक्री) के पालन में तहसीलदार व्दारा कार्यवाही की जाती है तब ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण राजस्व न्यायालय में नहीं होगा, अपितु जिस व्यवहार न्यायालय व्दारा आदेश (डिक्री) पारित किया है, उसके वरिष्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी होगी।

3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 110 – सिविल न्यायालय की डिक्री – राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकर है। भॅवरजी बनाम सीताराम 1966 रा0नि0 460 से अनुसरित।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार पोरसा के प्रकरण क्रमांक 14/2013-14 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 15-4-2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह केंप पोरसा के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राह्य योग्य एंव सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। तद्नुसार अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह केंप पोरसा को कार्यवाही हेतु प्रकरण वापिस किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर